संख्या-28/2015/109 बीपी/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 03 जून,2015

विषय:-बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत पशुधन विभाग के कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में शासनादेश संख्या-2260/35-आ-1/2010 दिनांक 27 सितम्बर, 2010 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन पशुधन विकास से सम्बन्धित निम्नांकित मदों/परियोजनाओं को रू.2996.00 लाख की लागत(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 1631.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष रू. 660.84 लाख की धनराशि का व्यय हुआ तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। वर्ष 2011-12 में शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के माध्यम से रू. 2335.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष रू. 765.84 लाख की धनराशि का व्यय हुआ तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। वर्ष 2012-13 में शासनादेश दिनांक 16 अगस्त, 2012 के माध्यम से रू. 1269.53 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष रू. 373.51 लाख की धनराशि का व्यय हुआ तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। वर्ष 2013-14 में शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2013 के माध्यम से रू. 316.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष रू. 308.40 लाख की धनराशि का व्यय हुआ तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश दिनांक 25 जून, 2014 के माध्यम से रू. 302.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष रू. 298.20 लाख की धनराशि का व्यय हुआ तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। इस प्रकार कुल मिलाकर रू. 2406.29 लाख का व्यय हुआ है। एतदद्वारा पशुधन विकास की निम्नांकित दो मदों के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये निम्नानुसार रू.318.69 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(रूपये तीन करोड़ अठारह लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(लाख रू. में)

	मद	अवमुक्त धनराशि
1	Establishment of A.I. Centers through assistance to NGO's	314.40
2	Establishment of fodder block unit in bundelkhand region	4.29
	TOTAL	**318.69**

1- सदंर्भित शासनादेशों की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- इस शासनादेश से उक्त कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है तथा कोई धनराशि अवमुक्त करने हेतु अवशेष नहीं बचती है।

3- कार्यो को मानको के अनुसार पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व पशुधन विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- प्रश्नगत परियोजनाओं पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के अनुदान संख्या 40 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा। धनराशि आदेश संख्या-यू.ओ. 08/ 35-1-2015, दिनांक 02 जून, 2015 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी है।

3- यह आदेश वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या–28/2015/109 बीपी (1)/35-1-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।

3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।

4-प्रमुख सचिव पशुधन विभाग ।

5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।

6-मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।

7-जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

8-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

10- मुख्य कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, कलेकट्रेट, लखनऊ।

11-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

12-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:-28/2015/ 109 बीपी/35-1-2015, दिनांक 03 जून, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

	मद	अवमुक्त धनराशि	लेखाशीर्ष
1	Establishment of A.I. Centers through assistance to NGO's	314.40	लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -09-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो की स्थापना हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' -20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)
2	Establishment of fodder block units in Bundelkhand region	4.29	लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -17-फाडर ब्लाक इकाइयों की स्थापना -24-वृहद निर्माण कार्य
	Total	**318.69**	**(रूपये तीन करोड़ अठारह लाख उनहत्तर हजार मात्र)**

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।